क्रम संख्या–144

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 11 नवम्बर, 2005 ई0
कार्तिक 20, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 618/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 11 नवम्बर, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 10 नवम्बर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 30, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :

उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) अधिनियम, 2005
(अधिनियम संख्या 30, सन् 2005)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) का उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) अधिनियम, 2005 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य पर होगा।

भाग—1

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (अधिनियम संख्या 26, वर्ष 1947) (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) का संशोधनः

धारा 11—क तथा 12 का संशोधन

2. मूल अधिनियम की धारा 11—क की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक में तथा धारा 12 की उपधारा (5) के खण्ड (क) के प्रथम परन्तुक में, "सत्ताईस" शब्द के स्थान पर "चौदह" शब्द रखा जायेगा।

भाग—2

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 33, वर्ष 1961) (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) का संशोधनः

धारा 6—क, 7—क, 18—क तथा 19—क का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 6—क की उपधारा (1), धारा 7—क की उपधारा (1), धारा 18—क की उपधारा (1), प्रत्येक, के प्रथम परन्तुक में तथा धारा 19—क की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक में, "सत्ताईस" शब्द के स्थान पर "चौदह" शब्द रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्तियां

4. (1) उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) अध्यादेश, 2005 (उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 2, सन् 2005) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट, अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

यू० सी० ध्यानी,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of The Uttaranchal Threetier Panchayat Raj (Sixth Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 30 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 10 November, 2005.

No. 618/Vidhayee and Sansadiya Karya/2005

Dated Dehradun, November 11, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL THREETIER PANCHAYAT RAJ (SIXTH AMENDMENT) ACT, 2005

(Act no. 30 of 2005)

Be it enacted by the State Assembly in the Fifty-sixty year of the Republic of India as follows :--

Further to amend the Uttar Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1947 and the Uttar Pradesh Kshetra Panchayat and Zila Panchayat Adhiniyam, 1961 (as applicable in the State of Uttaranchal) in the context of the State of Uttaranchal

An

Act

Be it enacted by the State Assembly in the Fifty-sixth year of the Republic of India as follows :--

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal Threetier Panchayat Raj (Sixth Amendment) Act, 2005. Short title, Commencement and Extent

(2) It shall come into force at once.

(3) It shall extend to the whole State of Uttaranchal.

Part--1

Amendment of the Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947 (Act no. 26 of 1947) (as applicable in the State of Uttaranchal) (hereinafter referred to as the Principal Act) :

2. In the first proviso of sub-section (2) of section 11-A and the first proviso of clause (a) of sub-section (5) of section 12 of the principal Act, for the words, "twenty-seven", the word, "fourteen" shall be substituted. Amendment of sections 11-A and 12

Part--2

Amendment of the Uttar Pradesh Kshetra Panchayat and Zila Panchayat Adhiniyam, 1961 (Act No. 33 of 1961) (as applicable in the State of Uttaranchal) (hereinafter referred to as the principal Act) :

3. In the first proviso of sub-section (1) of section 6-A, sub-section (1) of section 7-A, sub-section (1) of section 18-A, each and the second proviso of sub-section (1) of section 19-A of the principal Act, for the words, "twenty-seven", the word, "fourteen" shall be substituted. Amendment of sections 6-A, 7-A, 18-A and 19-A

4. (1) The Uttaranchal Threetier Panchayat Raj (Sixth Amendment) Ordinance, 2005 (the Uttaranchal Ordinance no. 2 of 2005) is hereby repealed. Repeal and Savings

(2) Notwithstanding such a repeal, any thing done or any action taken under the provisions of the Uttar Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1947 and the Uttar Pradesh Kshetra Panchayat and Zila Panchayat Adhiniyam, 1961 as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Uttar Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1947 and the Uttar Pradesh Kshetra Panchayat and Zila Panchayat Adhiniyam, 1961 as amended by this Act, as if the provisions of this Act where in force at all material times.

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 52 विधायी/457–2005–100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।